इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015—कार्तिक 29, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)107-86-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 2 से 7 नवम्बर 2015 तक छः दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्र. 6715-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड-पे रुपये 4200/- में दिनांक 1 नवम्बर, 2015 से पदोन्नत करता है.

क्र. 6716-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्री लालचंद मेहचंदानी, सहायक ग्रेड-1, विधि विभाग को अस्थाई रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-सी-6-2-94-3-एक, दिनांक 30 जून 1994 एवं क्र. एफ-सी-6-3-11-3-एक दिनांक 29 नवम्बर 2012 के प्रावधानों के अनुरूप श्री सी. के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 के बंद लिफाफे के कारण रिक्त पद के विरुद्ध विधि विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड-पे रुपये 4200/- में दिनांक 1 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि यदि श्री सी. के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 विभागीय जांच में पूर्णत: दोषमुक्त पाये जाएंगे तो तत्समय उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी एवं आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर संबंधित कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जावेगा.

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है."

भोपाल, दिनांक 6/7 नवम्बर 2015

फा. क्र. 3(ए)06-2014-विस-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण कर ली गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अत: म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन), नियम 1976 (अद्यतन संशोधित) के नियम 42 (1) (बी), डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम (1-ए), मूलभूत नियम 56(2) (ए), मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) (अद्यतन संशोधित) नियम 1994 के नियम 14 (1) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000-3-1, दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश 3(बी) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करता है.

श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

फा. क्र. 3(ए)06-2014-विस-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अत: म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन), नियम 1976 (अद्यतन संशोधित) के नियम 42 (1) (बी), डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम (1-ए), मूलभूत नियम 56(2) (ए), मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) (अद्यतन संशोधित) नियम 1994 के नियम 14 (1) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000-3-1, दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश की कंडिका 3(बी) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.

श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

फा. क्र. 3(ए)06-2014-विस-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अत: म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन), नियम 1976 (अद्यतन संशोधित) के नियम 42 (1) (बी), डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम (1-ए), मूलभूत नियम 56(2) (ए), मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) (अद्यतन संशोधित) नियम 1994 के नियम 14 (1) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000-3-1, दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश 3(बी) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करता है.

श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

फा. क्र. 3(ए)06-2014-विस-इक्कीस-ब(एक).—उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अत: म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन), नियम 1976 (अद्यतन संशोधित) के नियम 42 (1) (बी), डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम (1-ए), मूलभूत नियम 56(2) (ए), मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) (अद्यतन संशोधित) नियम 1994 के नियम 14 (1) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000-3-1, दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश कंडिका 3(बी) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.

श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2015

प्ररूप-ख

[मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012, नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 2229.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	जुनापानी/46	85/2	0.535

मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पुनासा, दिनांक 22 सितम्बर 2015

प्ररूप-ख

[मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012, नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. 6-अ-82-2014-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	पुनासा	धावड़िया /3	155	0.138
			149	0.591
			152/1	0.295

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			152/2	0.008
			79/1	0.065
			79/2	0.381
			78/1	0.024
			78/2	0.073
			83/2	0.170
			83/3	0.324
			83/4	0.154
			65/2	0.069
			64/1	0.251
			64/2	0.303
			योग . .	2.846

क्र. 7-अ-82-2014-15.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	पुनासा	डुहिक्या/3	168	0.004
			167	0.049
			152/3	0.121
			154	0.053
			155	0.259
			156	0.186
			157	0.202
			158	0.004
			138/2	0.202
			147	0.239
			146	0.036
			145	0.425
			कुल . .	1.780

बी. कार्तिकेयन, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह जिला खरगोन

बड़वाह, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. 2621-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 907-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	बालाबाद/17	16/1	0.955
			17	1.580
			19	0.782
			20	0.579
			21	0.121
			71/2	0.016
			73	0.145
			74	0.016
			75/1	0.097
			75/2	0.097
			76/1	0.194
			76/2	0.061
			95/1	0.437
			95/2	0.008
			107/3	0.121
			108/1	0.283
			108/2	0.235
			108/3	0.024
			109/1	0.016
			कुल . .	5.767

क्र. 2620-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 909-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ऑंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	आरसी/12	353/2	0.008
			353/3	0.162
			354/1	0.332
			354/2	0.389
			355/2	0.178
			355/3	0.355
			377/3	0.462
			377/4	0.097
			379/1	0.461
			379/2	0.101
			379/3	0.012
			380/1	0.04
			कुल . .	2.593

क्र. 2626-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 911-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ऑंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों

से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	दाभड़/19	71	0.324
			110	0.567
			111	0.049
			113/3	0.016
			126/1	0.316
			129/2	0.304
			133/2	0.049
			133/3	0.599
			135/1	0.105
			135/4	0.210
			145	0.227
			146/2	0.162
			150/2	0.364
			150/3	0.247
			151/1	0.450
			165	0.130
			174/3	0.534
			176/1	0.186
			176/2	0.089
			177/2	0.085
			177/5	0.308
			कुल . .	5.321

क्र. 2630-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 913-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	बेड़िया/21	545/2	0.072
			588/2	0.494

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			590	0.405
			591	0.178
			597	0.405
			598/1	0.105
			626/1	0.461
			626/2	0.008
			628	0.324
			630	0.259
			631/3	0.105
			639	0.004
			640/1	0.332
			640/2	0.041
			643	0.162
			644	0.389
			645/1	0.081
			645/2	0.028
			648/1	0.182
			648/2	0.178
			कुल . .	4.213

क्र. 2635-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 915-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	बागदा बुजुर्ग/24	7/1	0.154
			7/2	0.117
			8/1	0.024
			8/4	0.344
			11/3	0.012
			12/1	0.072
			17/2	0.316

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			17/3	0.072
			18/1	0.032
			31	0.008
			32/1	0.364
			33	0.300
			34/1	0.036
			34/2	0.016
			34/3	0.008
			34/4	0.004
			48	0.235
			49	0.300
			50	0.146
			53/3	0.113
			78/3	0.041
			80/1	0.197
			81/1, 80/2	0.130
			81/2	0.130
			82	0.097
			83	0.008
			84/1	0.105
			84/2	0.146
			84/3	0.178
			85	0.008
			89	0.032
			91	0.340
			95	0.008
			202/2	0.619
			212/1	0.016
			212/5	0.243
			कुल . .	4.971

क्र. 2640-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 917-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ऑंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	लछोरा/19	3	0.498
			8	0.332
			9	0.243
			10/1	0.146
			10/2	0.202
			24/2	0.397
			24/4	0.308
			25/1	0.101
			25/3	0.635
			कुल . .	2.862

क्र. 2645-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 919-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	बागदा खुर्द/23	15/1	0.259
			15/2	0.259
			15/3	0.486
			66	0.024
			69/1	0.235
			69/2	0.041
			69/3	0.340
			69/4	0.004
			69/5	0.283
			69/6	0.130
			69/7	0.251
			69/9	0.097
			कुल . .	2.409

क्र. 2650-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 921-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	गोराड़िया/26	4	0.490
			7/7	0.263
			8/1	0.344
			8/2	0.202
			8/3	0.073
			9/1	0.130
			योग . .	1.502

क्र. 2655-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 923-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	मोखनगांव/31	31	0.126
			43	0.024
			45/1	0.599

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			47	0.397
			49/1	0.004
			49/3	0.131
			49/4	0.089
			49/5	0.008
			50/1	0.089
			77	0.032
			78/2	0.154
			78/3	0.178
			78/4	0.138
			78/5	0.182
			78/7	0.121
			78/8	0.251
			103/1	0.008
			103/3	0.567
			103/4	0.008
			110/4	0.219
			110/5	0.097
			110/8	0.097
			110/9	0.097
			110/10	0.202
			110/11	0.121
			110/12	0.109
			110/13	0.089
			117/2	0.680
			123	0.130
			124/1	0.065
			124/2	0.081
			126	0.065
			127	0.024
			128/1	0.210
			128/2	0.154
			140/10	0.024
			142/1	0.154
			142/2	0.130
			142/3	0.121
			142/4	0.065
			142/5	0.008
			योग . .	6.048

क्र. 2660-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 925-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन

हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	बिराली/30	7	0.340
			8/1	0.340
			9	0.081
			12/2	0.178
			13/1	0.348
			17/1	0.425
			19/1	0.008
			166/2	0.036
			166/3	0.057
			166/8	0.008
			166/10	0.101
			166/11	0.198
			166/12	0.138
			166/13	0.138
			167/2	0.304
			171/1	0.142
			171/2	0.178
			173/1	0.061
			173/2	0.109
			173/4	0.057
			173/12	0.061
			174/3	0.020
			174/4	0.069
			176/1	0.615
			176/3	0.057
			187	0.728
			योग . .	4.797

क्र. 2665-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 927-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन

हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ढकलगांव/40	31/1	0.291
			31/2	0.279
			35/1	0.413
			37	0.429
			38/3	0.142
			40	0.283
			41,42	0.251
			43/1	0.267
			43/2	0.150
			43/4	0.162
			44/2	0.259
			44/5	0.304
			47	0.040
			48	0.121
			49	0.049
			81/1	0.032
			81/2	0.332
			81/4	0.008
			81/5	0.012
			82/2	0.030
			82/3	0.089
			83/1	0.356
			83/6	0.142
			83/13	0.121
			83/14	0.030
			84/2	0.002
			85/2	0.280
			85/5	0.238
			130	0.020
			131	0.210
			132/1	0.291
			132/2	0.190

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			133/2	0.227
			133/3	0.130
			135/1	0.255
			135/2	0.073
			137	0.130
			514/1	0.162
			514/2	0.121
			514/3	0.105
			515/1	0.041
			518/1	0.065
			520	0.030
			523/2	0.113
			524/1	0.097
			524/2	0.097
			529/4, 529/5	0.202
			529/6	0.097
			529/7	0.020
			530	0.283
			534	0.290
			973/1	0.182
			973/2	0.186
			973/5	0.130
			974/4	0.049
			974/5	0.178
			974/6	0.049
			974/8	0.065
			974/9	0.130
			988/2	0.178
			988/4	0.166
			988/8	0.154
			988/9	0.352
			988/10	0.008
			1035/1	0.372
			1035/3	0.389
			1035/8	0.117
			1053/1	0.121
			1053/2	0.089
			1053/4	0.020
			1053/6	0.146
			1056/1	0.219
			1056/3	0.113
			1057/1	0.069
			1058/1	0.072
			1074	0.360

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1076/2	0.429
			1076/9	0.004
			1077/1	0.235
			1077/2	0.024
			1082/1	0.251
			1082/7	0.162
			1082/8	0.097
			योग . .	13.477

क्र. 2670-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 929-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	रूखड़ी/40	90/1	0.202
			90/2	0.061
			90/4	0.134
			90/5	0.036
			90/8	0.223
			90/9	0.250
			90/10	0.280
			90/11	0.340
			90/19	0.240
			99/1	0.097
			99/2	0.202
			99/7	0.263
			99/9	0.162
			104	0.016
			105	0.350
			106/2	0.532
			योग . .	3.388

क्र. 2675-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 931-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5/1	0.304
			6/1	0.089
			7/1	0.065
			7/2	0.453
			72	0.186
खरगोन	सनावद	बांसवा/47	73/1	0.186
			73/3	0.113
			73/4	0.089
			73/6	0.020
			74/1	0.032
			113/1	0.494
			114/1	0.024
			योग . .	2.055

क्र. 2680-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 933-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	भोकर/49	9	0.162
			12/2	0.223
			12/3	0.202
			12/6	0.235
			15/1	0.368
			15/3	0.105
			16	0.708
			27/2	0.016
			39/2	0.121
			39/6	0.295
			40	0.250
			42	0.223
			43/1	0.316
			43/2	0.174
			योग . .	3.398

क्र. 2685-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 935-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	खनगांव/47	63/1	0.020
			63/13	0.072
			63/14	0.081
			63/15	0.130
			64	0.036
			65/1	0.223
			65/3	0.283
			योग . .	0.845

क्र. 2690-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 937-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			107/4	0.113
			107/5	0.004
खरगोन	सनावद	खेड़ी/47	108/4	0.085
			108/5	0.113
			110	0.113
			योग . .	0.428

क्र. 2695-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 939-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ओंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1/1	0.416
			1/2	0.499
			3	0.143
			4	0.048

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	बावनी/49	5	0.024
			11/1	0.107
			11/2	0.356
			13/1	0.249
			योग . .	1.842

क्र. 2700-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 943-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			17	0.579
			31	0.049
			32/3	0.951
			32/4	0.016
			33	0.049
			83/5	0.004
			83/6	0.300
			92/2	0.105
			92/3	0.105
			92/4	0.105
			93/1	0.072
खरगोन	सनावद	राजपुरा/43	93/3	0.089
			93/4	0.113
			93/5	0.130
			93/6	0.130
			93/7	0.130
			93/8	0.008
			94/8	0.057
			97/36	0.020
			98/2	0.388
			98/3	0.243
			99/1	0.089
			99/2	0.550
			100/1	0.170
			योग . .	4.452

क्र. 2705-2015.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 945-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	अंजरूद/44	38/1	0.210
			39	0.072
			41/1	0.263
			45	0.049
			46	0.202
			47	0.081
			220/1	0.332
			221/1	0.174
			221/2	0.062
			238/3	0.656
			239/1	0.469
			239/2	0.437
			242	0.004
			243/1	0.437
			245/1	0.008
			245/2	0.069
			250	0.227
			योग . .	3.752

क्र. 2710-2015.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 947-भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	भोकरिया/44	10	0.445
			11	0.275
			15/2	0.243
			15/3	0.202
			16/2	0.186
			16/3	0.332
			16/4	0.227
			17/3	0.008
			21/3	0.243
			21/4	0.020
			22/1	0.210
			22/2	0.121
			22/3	0.243
			24/1	0.008
			24/2	0.073
			24/3	0.069
			24/5	0.016
			24/6	0.130
			25	0.291
			26/1	0.121
			26/2	0.097
			योग . .	3.560

मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. 05 अ-82-14-15-भू-अर्जन-1859.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	पिपरसाना	सर्वे क्रमांक 261 में से रकबा 0.020	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 आर माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 06 अ-82-14-15-भू-अर्जन-1860.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	पिपरसाना	सर्वे क्रमांक 589/1 एवं 589/2 में से रकबा 0.050	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 07 अ-82-14-15-भू-अर्जन-1861.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	पिपरसाना	सर्वे क्रमांक 4898 में से रकबा 0.140 एवं 3761 में से रकबा 0.080	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11(1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है. निम्नांकित परियोजना के अधिकांश (बृहद) भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं. इसी परि. के निर्माण हेतु अंश भाग की भू-अर्जन कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	गंज (पूरक द्वितीय)	1.049	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर	ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 3 नवम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	पड़रिया प. ह. नं. 31.	15.02	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं वितरिका नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-01 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	देई प. ह. नं. 31.	15.33	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	लपटी प. ह. नं. 32	08.34	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	धमनगांव प. ह. नं. 32	13.26	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82)-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	बुड़ला प. ह. नं. 32	10.19	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटंगी, बालाघाट, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. 3030-अ-82-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक सन् 2013) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	अर्जुननाला, चिकमारा, चौखण्डी, पौनिया, हीरापुर, तिरोडी.	शासकीय भूमि 7.297 हे. (संरचना सहित).	उपमुख्य अभियंता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र).	कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कटंगी के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खंडवा, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

नस्ती क्र. 186-2013-एल. ए.-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-04-अ-82-2012-13-**शुद्धि पत्र.**—इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा वितरण शाखा के विस्तारीकरण कार्य हेतु ग्राम अटूटखुर्द बैनीपुरा तहसील पुनासा जिला खंडवा के भू-अर्जन प्र. क्रं. 4-अ-82-2012-13 में भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6-3-2015, समाचार-पत्र स्वदेश दिनांक 6-3-2015 राज एक्सप्रेस में दिनांक 6-3-2015 आम इस्तहार में 5-3-2015 को प्रकाशित हुआ है.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी. नम्बर. 24326/15.

पूर्व प्रकाशित खसरा व रकबा		संशोधित खसरा नम्बर	
खसरा नम्बर	पूर्व प्रकाशित रकबा	संशोधन खसरा नम्बर	संशोधित रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
260	0.04	260/3	0.04
258/1	0.06	158/1	0.06

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.53 है. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 370-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि ग्राम नदहाकला (रीवा) में "छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग" का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम—नदहाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.597 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
186	0.050
189	0.050
190	0.100
191/1, 191/2, 191/3	0.080
192	0.060
193	0.110
195	0.070
194	0.030
200	0.090
201	0.016
230	0.020
234/1, 234/2	0.025
236/1, 236/2	0.035
238	0.040
239/1, 239/2, 239/3, 239/4	0.045
241/1, 241/2	0.030
242	0.035
244	0.060
171	0.040
170	0.020
96/1, 96/2, 96/3	0.035
172	0.040
173/1, 173/2	0.030
174	0.020

(1)	(2)
175	0.014
228	0.050
177/1, 177/2	0.025
178	0.016
179	0.030
215	0.004
41	0.070
40	0.050
39	0.050
38	0.035
27	0.040
26	0.035
25/2क, 25/22ख	0.090
23	0.080
24/1, 24/2	0.070
104	0.040
103/2, 103/1	0.040
102/2	0.045
101	0.040
100	0.045
99	0.130
196/1, 196/2	0.025
199	0.004
233/1, 233/2	0.010
167	0.030
166	0.007
144/1, 144/2	0.015
142/1, 142/2	0.004
7/1, 7/2	0.080
8/1, 8/2	0.040
9	0.036
216	0.015
220	0.030
221	0.030
222	0.040
223	0.030
228	0.025
229	0.035
योग . .	2.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 371-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि ग्राम तेंदुआ (रीवा) में "छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग" का निर्माण कार्य स्वीकृति है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम—तेंदुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.016 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
निजी भूमि	
23/1क, 23/1ख	0.042
23/2/1, 23/2/2, 23/2/3	0.061
24/1, 24/2, 24/3	0.145
31	0.153
42	0.304
61	0.110
63/1, 63/2	0.100
64/2	0.101
योग . .	1.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 372-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि ग्राम छिपिया (रीवा) में "छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग" का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम—छिपिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.880 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
240	0.200
244/1, 244/2	0.100
270	0.150
243	0.040
269/1क	0.035
271/1ख	0.040
271/2	0.050
272	0.050
273	0.040
289	0.085
290	0.090
योग . .	0.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्र. 10057-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में खसरा वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—शुक्ला प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/3	0.05
8	0.03
योग . .	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है गोकलपुर शुक्ला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 06-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बहोरीबंद

(ग) ग्राम—छपरा, प.ह.नं. 73, नं.बं. 233

(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.31 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1	1.47
19/1	1.17
18/2	1.47
19/2	1.17
20	0.25
24	0.20
25/1	1.05
26	1.56
67/24	0.20
74	2.19
67/23	0.40
28	0.30
21	2.95
67/14	0.30
67/13	1.40
67/10	0.70
67/12	0.48
67/4	1.90
67/6	0.60
67/5	0.35
67/11	0.90
67/2	2.00
67/3	2.00
67/8	2.00
67/7	1.10
25/2	3.20
योग . .	31.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धरमपुरा जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ii तथा iii के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की एवं परिसम्पत्तियों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नीमच

(ख) तहसील—नीमच

(ग) ग्राम का नाम— मुण्डला 4.960
सेमली मेवाड़ 0.930
कुल योग 5.890

अनुसूची (2)

भूमि का विस्तृत वर्णन

सर्वे नम्बर	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में) एवं परिसम्पत्तियों का विवरण	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)
	ग्राम मुण्डला	
685 पे.	0.030	रेतम बैराज परियोजना में निजी भूमियों के अर्जन में छूटे सर्वे नम्बर एवं परिसंपत्तियों के अर्जन का पूरक प्रस्ताव.
690 पे.	0.040	
685 पे.	0.030	
690 पे.	0.040	
690 पे.	0.070	
692 पे.	0.330	
694 मीन	0.020	
695 पे.	0.650	
696 पे.	0.550	
697 पे.	0.050	
698 पे.	0.550	
695 पे.	0.050	
738 पे.	0.150	
735 मीन	0.400	

(1)	(2)	(3)
736	0.250	
737	0.290	
741 मीन	0.190	
739	0.420	
740	0.260	
741 मीन	0.190	
742	0.350	
कुल योग . .	4.960	

ग्राम सेमली मेवाड़

701	0.090
702 मीन	0.030
702 मीन	0.020
710	0.080
708 मीन	0.030
711	0.090
712	0.140
1125	0.320
1137 मीन	0.130
कुल योग	0.930

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्र. 8735-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: "**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013**" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-देवरीकला, ब. नं. 133, प. ह. नं.04 रा.नि.मं.-चौरई
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
191/6	0.100
202/5, 243/3	0.050
202/4, 243/2	0.300
356/1, 358/1, 359/1 356/2 ख, 357/2 ख, 358/2 ख, 359/2 ख	मकान पक्का-1, मकान कच्चा-1,
योग . .	0.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—**पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के** संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जिन किये जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, **भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा** के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, **कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा** के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण **अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा** के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8736-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: "**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013**" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मडुआढ़ाना ब. नं. 222, प. ह. नं.02 रा.नि.मं.-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
393/4	0.243
388/5	0.160
405/4	0.287
405/5	0.287
412/5	0.267
32/3, 158/5	0.533
योग . .	1.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—**पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के** संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जिन किये जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण **भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा** के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण **कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा** के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण **अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा** के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटंगी, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. 3031-अ-82-वर्ष 2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोग के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट

(ख) तहसील—कटंगी/तिरोडी

(ग) ग्राम—अर्जुननाला/चिकमारा/चौखण्डी/पौनिया/हीरापुर एवं तिरोडी.

(घ) शासकीय भूमि कुल रकबा —7.297 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में.)	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
249	3.573	0.182	अर्जुननाला
322	1.222	0.184	अर्जुननाला
344	0.725	0.021	अर्जुननाला
364	3.573	0.182	अर्जुननाला
513	0.781	0.072	अर्जुननाला
182	0.291	0.129	चिकमार
184	0.101	0.061	चिकमार
188	0.376	0.105	चिकमार
216	3.466	0.263	चिकमार
220	0.738	0.073	चिकमार
392	2.842	0.085	चिकमार
530	3.249	0.737	चिकमार
543	0.145	0.145	चिकमार
548	0.040	0.040	चिकमार
43	0.352	0.052	चौखण्डी
76	3.758	0.121	चौखण्डी
210	2.428	0.648	चौखण्डी
2/6	0.809	0.279	पौनिया
17	0.247	0.061	पौनिया
103	0.219	0.020	पौनिया
140, 141	0.712	0.049	पौनिया
523/1, 2, 3	17.526	0.854	पौनिया
523/4	1.433	0.903	पौनिया
523/6	1.214	0.478	पौनिया

(1)	(2)	(3)	(4)
523/7	1.214	0.283	पौनिया
61/5	2.670	0.190	हीरापुर
61/7	1.619	0.627	हीरापुर
66/5	0.874	0.202	हीरापुर
67	2.307	0.142	हीरापुर
283	1.647	0.109	तिरोडी

कुल रकबा 7.297 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. 2244-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—रमपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.452 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.182
14	0.034
17	0.139
20	0.096
26	0.087
27	0.089
42	0.125
45	0.120
52	0.058
57	0.163
56	0.079
84	0.067
85	0.144
86	0.173
87	0.101
88	0.101
101	0.005
111	0.130
112	0.074
115/1	0.038
115/2	0.038
116	0.101
117	0.120
118	0.063
119	0.010
120	0.115
योग . .	2.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2246-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—नंदनीपुर 268
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.294 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58	0.094
62	0.050

(1)	(2)
71	0.060
72	0.019
73	0.015
75	0.030
76	0.006
105	0.010
106	0.010
योग . .	0.294

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2248-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—गोदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.744 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
371	0.216
431	0.288
435	0.120
436	0.120
योग . .	0.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2250-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—नंदनीपुर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.848 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
246	0.235
248	0.095
249	0.085
250	0.130
251	0.101
274	0.106
279	0.019
291	0.053
290	0.024
योग . .	0.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला माइनर नं. 1 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2252-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु

आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—मकरवट

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.904 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/2	0.008
24	0.216
32/2	0.086
39	0.110
113	0.064
114	0.058
115	0.015
117	0.044
118	0.044
120/1	0.096
124/2	0.008
125/2	0.048
138/1	0.036
138/2	0.024
138/3	0.039
141	0.018
182	0.012
183	0.008
184	0.048
187	0.026
188	0.058
203	0.042
206	0.178
228	0.144
230	0.034
231	0.006
232	0.034
244	0.029
271/1	0.048
272	0.021
304	0.034
312	0.024
313	0.080
314	0.008
315	0.030
316	0.034
342	0.027
344	0.029
345	0.010
कुल योग . .	1.878
204 शासकीय	0.026
महायोग	1.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2254-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—बरों कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.204 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
747	0.060
748	0.054
749	0.012
754	0.014
755	0.010
756	0.064
योग . .	0.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2256-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—बीरखाम

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.182 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.108
16	0.077
30	0.015
31	0.050
32	0.050
33	0.027
38	0.067
42	0.005
43	0.120
44	0.120
72	0.072
73	0.022
74	0.005
182	0.106
184	0.062
187	0.156
191	0.120
योग . .	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोटी टोला माइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2258-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—बीड़ा मामला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.742 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
866	0.077
868	0.014
869	0.014
870	0.022
873	0.043
875	0.039
878	0.058
879	0.067
883	0.178
900	0.077
901	0.110
2400	0.043
योग . .	0.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला माइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2260-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—भेलौड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.020 हेक्टेयर.

खसरा नं.		अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
184		0.058
244		0.063
247/1		0.039
247/2		0.058
248		0.007
249/1		0.067
249/2		0.091
250/1		0.006
250/2		0.006
260		0.067
261/2		0.005
262		0.034
264		0.010
265		0.089
361		0.034
402		0.019
408		0.178
409		0.087
410		0.034
411		0.066
412		0.018
413		0.045
420		0.010
461		0.099
462		0.048
464		0.012
466		0.019
467		0.005
471		0.024
	कुल योग . .	2.000
236	शासकीय	0.015
469	शासकीय	0.005
	कुल योग . .	0.020
	महायोग . .	2.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2262-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—कोलहट (कोलहड़) 88

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.637 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64	0.120
65	0.034
69	0.020
70	0.063
71	0.082
75	0.250
83	0.068
योग . .	0.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2264-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—नंदनीपुर कोठार 269

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.595 हेक्टेयर.

खसरा नं.		अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
49		0.072
50		0.072
51		0.017
52		0.073
54		0.106
55		0.074
56		0.149
57		0.010
58		0.012
	कुल योग . .	0.585
75	शासकीय . .	0.010
	महायोग . .	0.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. B-4869-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-5725-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 7 से 9 अक्टूबर 2015 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D-5727-दो-2-55-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. C-4539-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4541-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 13 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5756-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 7 से 11 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5, एवं 6 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5758-दो-2-41-2009.—श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक

2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5760-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मंडलेश्वर को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटाने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मंडलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5763-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 10 से 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-5765-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14 सितम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5767-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 28 सितम्बर 2015 से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. B-4927-दो-3-76-2009.—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थपित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. B-4948-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 3 अक्टूबर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतें.

क्र. B-4950-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4960-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4962-दो-2-22-2012.—श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.